संख्या-276/2017/77/22-2-2017-17(142)/2012

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फेरू उर्फ फेरन पुत्र श्री भूले, निवासी-जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1553/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक&04-01-2017 दिनांक 17.01.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी फेरू उर्फ फेरन पुत्र श्री भूले, निवासी-काठीखेडा, थाना-बाबूगढ़, जिला- गाजियाबाद हाल जिला हापुड़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीन का सही बटवारा न होने की रंजिश को लेकर दिनांक 05.09.1972 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बल्लम से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-117/1973 में भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ द्वारा दिनांक 14-11-1973 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त शासनादेश के अनुपालन में रिहा, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 01 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय सी0जी0एम0, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 24.08.1985 को रिहा। बन्दी द्वारा दिनांक 28.09.2016 तक 11 वर्ष 02 माह 01 दिन की अपरिहार एवं 14 वर्ष 00 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी हत्या जैसा अपराध कारित किया है इस कारण पूर्ण सजा का हकदार है अत: कारागार में बन्दी को रखना सार्थक है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा काटी गयी अपरिहार सजा, कारित अपराध की गम्भीरता/जघन्यता एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हापुड द्वारा रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च नयायालय में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-27223/2015 समन्तरा उर्फ सन्तरा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 18.11.2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी फेरू उर्फ फेरन (बन्दी संख्या-15315) पुत्र श्री भूले, निवासी-जनपद-गाजियाबाद हाल जिला-हापुड़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-276/2017/77/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।